कार्यालय,
संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)
दूरभाष कमांक 0771–4240278 ई मेल jdeduraipur@gmail.com

कमांक / स्था.2 / कला(अंग्रेजी माध्यम) / 2021 / 1692 — रायपुर दिनांक 17.08.2021

/ / आदेश / /

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र कमांक एफ आर नं. 1103 / 2019 / 20 – दो अटल नगर दिनाँक 09 / 03 / 2019 ने अनुकम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र कमांक / स्था. / विज्ञापन / सीधी भर्ती / 2019 / 422 – पी.ए. अटल नगर दिनांक 09 / 03 / 2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक , विषय कला(अंग्रेजी माध्यम), के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 04 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5
13010022	OMKAR PRASAD S/o RAMKUMAR 56A, , Khapri p.o Nandghat, Bemetara C.G. pin code 491340	OBC	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या भाटापारा(अंग्रेजी माध्यम), वि.ख. भाटापारा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा	UR

(एस.के.भरतद्वाज)
संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग–रायपुर (छ0ग0)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1 चयनित शिक्षक 17 / 08 / 2021 से 04 / 09 / 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

2 चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।

3 छ0ग0 शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21 / 2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा–

Scanned by CamScanner

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अव[illegible] सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा [illegible] वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।